आदेश

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत आज दिनांक 28.04.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला चिकित्सालय रामपुर के किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कतिपय चिकित्सक अपने स्वीकृता अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये बगैर मुख्यालय से बाहर जाना पाये गये। जबकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि कोई भी चिकित्सक इस वैश्विक महामारी के दौरान बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोडेगा और यदि अपरिहार्य परिस्थिति में किसी चिकित्सक को मुख्यालय छोडना अतिआवश्यक हो, तो वह स्वयं अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त कर सकता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को पुनः निर्देशित करते हुए अपेक्षा की जाती है कि किसी भी चिकित्सक द्वारा अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त किये बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा और यदि आकस्मिकता की स्थिति में किसी चिकित्सक को मुख्यालय छोड़ने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो वह अधोहस्ताक्षरी स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही मुख्यालय छोड़ेगे। सभी चिकित्सक अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं सजगता के साथ करेंगे। जिन चिकित्सकों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के साथ किया जायेगा, ऐसे चिकित्सकों को पुरूस्कृत भी किया जायेगा और जिन चिकित्सकों द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता बरती जायेगी, उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(रविन्द्र कुमार मॉदड़)
जिलाधिकारी,रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी रामपुर।

संख्या 477 /ओ0एस0डी0 दिनांक अप्रैल, 28 2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य चिकित्साधिकारी रामपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रामपुर को उपरोक्त आदेश की प्रति चिकित्सालय में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को उपलब्ध कराने हेतु।

(रविन्द्र कुमार मॉदड़)
जिलाधिकारी,रामपुर।